-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ **25 हजार के इनामिया अभियुक्त को थाना जसपुरा पुलिस द्वारा मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार। अपहरण की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व नगद रुपए हुए बरामद।**
- ❖ **अभियुक्त पर अपहरण, लूट, डकैती, गुण्डा एक्ट, मारपीट आदि सहित करीब एक दर्जन मामलें है दर्ज। पूर्व में अभियुक्त के 03 अन्य साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजवीर सिंह गौर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 09.11.2025 को थाना जसपुरा क्षेत्र में अपहरण की घटना को अंजाम देने वाला मुख्य अभियुक्त भानू उर्फ भानू प्रताप पुत्र कमल को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि थाना जसपुरा क्षेत्र के ग्राम गौरीकला के रहने वाले शिवशंकर पाल ने दिनांक 03.09.2025 को अपने 20 वर्षीय पुत्र के दिनांक 02.09.2025 की शाम ग्राम में आयोजित मेले में आपसी विवाद के दौरान भानू ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुत्र का अपहरण करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसके क्रम में दिनांक 03.09.2025 को थाना जसपुरा पुलिस द्वारा अपहृत युवक को 24 घण्टों के भीतर सकुशल बरामद करते हुए घटना में शामिल 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था जबकि घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त फरार था, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। इसी क्रम में आज दिनांक 09.11.2025 को थाना जसपुरा पुलिस टीम रात्रि गश्त, संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग में मामूर थे। गश्त के दौरान मुखबिर खास सूचना मिली कि थाना जसपुरा से 02 किमी आगे झंझरी रोड पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति पैदल-पैदल जा रहे है जिसमें एक भानू लग रहा है जो आपके मुकदमे में वाछिंत है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को आत्मसमर्पण हेतु कहे जाने पर स्वयं को पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करना शुरू कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। घायल अभियुक्त को गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस व 530 नगद रुपए बरामद हुए है।

बरामदगी-

- ➢ 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- ➢ 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- ➢ 02 खोखा कारतूस 315 बोर
- ➢ 530 रूपए नगद

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. भानू उर्फ भानू प्रताप पुत्र कमल निवासी वाहुण्डरी थाना जसपुरा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

2. मु0अ0सं0 161/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जसपुरा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री अनिल कुमार प्रभारी निरीक्षक जसपुरा
2. उ0नि0 राजाराम
3. कां0 दिलीप कुमार
4. कां0 राहुल
5. कां0 गौरख प्रसाद
6. कां0 आनंद

आपराधिक इतिहास भानू उर्फ भानू प्रताप -

1. मु0अ0सं0 130/23 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना जसपुरा जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 134/23 धारा 392/506/411 भादवि0 थाना जसपुरा जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 136/23 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना जसपुरा जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0 348/24 धारा 115(2)/309(4)/317(2) बीएनएस व 9/25 आर्म्स एक्ट थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर।
5. मु0अ0सं0 52/25 धारा 352/351(3) बीएनएस व 66 आईटी एक्ट थाना जसपुरा जनपद बांदा।
6. मु0अ0सं0 100/25 धारा 285/115(2)/351(3) बीएनएस थाना जसपुरा जनपद बांदा।
7. मु0अ0सं0 106/25 धारा 224/352/351(3) बीएनएस थाना जसपुरा जनपद बांदा।
8. मु0अ0सं0 122/25 धारा 140(1) बीएनएस थाना जसपुरा जनपद बांदा।
9. मु0अ0सं0 847/25 धारा 191(2)/110/115(2)/352/351(3)/308(5)बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
10. 3 यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना जसपुरा जनपद बांदा।